UPBG010018302026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।
उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.
जे०ओ०कोड–यू०पी० 1909

दाण्डिक निगरानी संख्या–103/2026

1. प्रेमवती पत्नी स्व. राजपाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कलां, थाना व जिला बागपत।

.....निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी।

बनाम

1. कृष्णपाल पुत्र लाल सिंह
2. लोकिन्द्रा पत्नी कृष्णपाल
3. तेजपाल पुत्र लाल सिंह
   निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना व जिला बागपत।
4. दो व्यक्ति नाम व पता अज्ञात
5. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 50/2025, मु.अ.सं.–711/2024, प्रेमवती बनाम कृष्णपाल आदि, अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं., थाना बागपत, जिला बागपत में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.01.2026 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी का प्रोटेस्ट पीटिशन को निरस्त करते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 50/2025 दिनांकित 19.03.2025 को स्वीकार किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि निगरानीकर्ता /प्रार्थिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.06.2024 को समय करीब सुबह 10 बजे प्रार्थिनी अपने घर पर अकेली थी। प्रार्थिनी के बेटे खेत पर गये हुए थे तभी प्रार्थिनी के पडौसी कृष्णपाल पुत्र लाल सिंह जबरदस्ती प्रार्थिनी के घर के बाहर नाली की खुदाई करने लगे। प्रार्थिनी ने इस बात का विरोध किया तो विपक्षीगण कृष्णपाल पुत्र लाल सिह व उसकी पत्री लोकिन्द्रा, तेजपाल पुत्र लाल सिंह व दो अज्ञात व्यक्तियों ने प्रार्थिनी के साथ गाली गाली गलौच करते हुए प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुसकर प्रार्थिनी के साथ मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें प्रार्थिनी को काफी गुम चोटे आयी है। मौहल्ले वालों ने उक्त घटना की सूचना प्रार्थिनी के बेटे संदीप व चाचा कृष्णपाल पुत्र जय सिंह को दी, जैसे ही ये लोग खेल से घर पहुँचे तो विपक्षीगण ने उनके साथ भी मारपीट की, मौहल्ले के रहने वाले सचिन पुत्र सहन्सपाल, सहदेव पुत्र पदम सिंह एवं अन्य लोगों ने विपक्षीगण से प्रार्थिनी के बेटे संदीप व चाचा कृष्णपाल की जान बचायी, वरना विपक्षीगण जान से मार देते। छुट छुटाव के वाद भी विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर गये है। प्रार्थिनी द्वारा दिनाक 25.06.2024 को ही उक्त घटना की तहरीर थाना बागपत पर दी थी। थाने वालों ने प्रार्थिनी व बेटे संदीप एवं चाचा कृष्णपाल का डाक्टरी परीक्षण कराया तथा आश्वासन दिया कि रिपोर्ट दर्ज हो जायेगी, कल आकर चिक ले जाना परन्तु विपक्षीगण के प्रभाव में रहते हुए आज तक भी प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नही की। प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज न होने पर प्रार्थिनी ने दिनाक 27.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बागपत को प्रेषित किया लेकिन उसके बाद भी विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण प्रार्थिनी को मजबूर होकर न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के आदेश किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थिनी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.04 10:09:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शपथपत्र, स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति, थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रति, मूल डाक रसीद, डाक डिलीवरी रिपोर्ट की प्रति, मैडिकल प्रपत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी को सुनकर उसके उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को दिनांक 12.08.2024 को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर थानाध्यक्ष बागपत द्वारा धारा 147, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त मामले में अंतिम रिपोर्ट संख्या 50/2025 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उसके पश्चात निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी श्रीमति प्रेमवती द्वारा अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट पीटिशन दायर की।

4. उक्त प्रोटेस्ट पीटिशन पर निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 02.01.2026 के माध्यम से निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी का प्रोटेस्ट पीटिशन को निरस्त करते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 50/2025 को स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

5. निगरानी कागज संख्या 3 अ मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए निगरानी में लिए गए आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.01.2026 विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना हाजा पर उपरोक्त मुकदमा अभियुक्तगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध दर्ज किया गया। उपरोक्त मुकदमे की घटना दिनांक 25.06.2024 की समय सुबह 10 बजे की है। घटना के उपरान्त निगरानीकर्ता/वादिनी एवं अभियुक्त पक्ष घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना बागपत में गये जहां पुलिस द्वारा निगरानीकर्ता/ प्रार्थीनी के बेटे चुटैल संदीप एवं चुटैल श्रीमति प्रेमवती/निगरानीकर्ता तथा चुटैल कृष्णपाल का पुलिस सुपुर्दगी में सरकारी अस्पताल में दिनांक 25.06.2024 को समय 1.40 बजे से 1.55 बजे तक मैडिकल कराया गया तथा निगरानीकर्ता से तहरीर लिखवाकर ले ली परन्तु निगरानीकर्ता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तथा उल्टे अभियुक्त पक्ष के लोगों से साज करके अभियुक्त तेजपाल पुत्र लाल सिंह द्वारा निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालों के विरूद्ध दी गयी तहरीर पर निगरानीकर्ता व उसके परिजनों के विरूद्ध मु.अ.सं. 563/2024 अर्न्तगत धारा 147, 148, 452, 427, 504, 308 भा.दं.सं. दर्ज कर लिया परन्तु निगरानीकर्ता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। जिस कारण निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र योजित किया गया था तथा न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे यह मुकदमा अभियुक्तगण 1 ता 4 के विरूद्ध थाना बागपत पर दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे में विवेचक द्वारा कथित घटना में चोटिल हुए चुटैल का मेडिकल करने वाले डॉक्टरों का भी बयान विवेचना में दर्ज किया गया तथा मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन भी विवेचना में किया गया जिसमें डॉक्टरों द्वारा भी चुटैलों को आई हुई चोटों के संबंध में अपना ब्यान विवेचक को दिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट को पुष्ट किया है। विवेचक द्वारा मजरूब/निगरानीकर्ता श्रीमति प्रेमवती एवं उसके पुत्र चुटैल/मजरूब संदीप तथा चुटैल/मजरूब कृष्णपाल का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा घटना का समर्थन करते हुए विवेचक को अपना–अपना ब्यान दिया गया है तथा उनके साथ अभियुक्तगण द्वारा करित की गई घटना की पुष्टि की है तथा घटना के समय छूट छूटाव करने वाले गवाह सचिन पुत्र सहन्सरपाल व सहदेव पुत्र पदम सिंह का भी बयान दर्ज किया गया जिनके द्वारा भी घटना की पुष्टि करते हुए अपना–अपना बयान विवेचक को दिया गया है। विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे में अधिकृत पक्ष एवं उनके लोगों के बयान दर्ज करते उक्त मुकदमे को जरिए फाइनल रिपोर्ट समाप्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई है। जबकि स्वयं वादिनी एवं चुटैलों तथा मेडिकल रिपोर्ट एवं घटना स्थल एवं नक्शा नजरी एवं मौके पर मौजूद गवाह सचिन एवं सहदेव के ब्यानों के आधार पर अधिकृतगण के दस्तावेज उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. बखूबी साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं दस्तावेजों तथा पत्रावली का सही तरीके से परिशीलन नहीं किया गया है और अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत आदेश यह कहते हुए कि वादिनी मुकदमा की प्रोटेस्ट पेटिशन में ऐसा कोई तथ्य इंगित नहीं किया गया है जिसके आधार पर विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या से इतर दृष्टिकोण पाते हुए कोई राय व्यक्त करते हुए वादिनी की मंशा के अनुरूप वादिनी के कथनों के आधार पर अग्रिम जांच करायी जा सके, दिनांक 02.01.2026 पारित किया गया है जो किसी भी दशा में

स्थिर रहने योग्य नहीं है और प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.01.2026 निरस्त करते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या निरस्त करके उक्त मुकदमे की पुनः अग्रिम जांच कराये जाने के आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से लिखित आपत्ति कागज संख्या 7 अ प्रस्तुत करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. मेरे द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8. न्यायालय को प्रथमतः यह देखना है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.01.2026 में कोई वैधानिक त्रुटि है, अथवा नहीं।

9. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिये गये प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा – 156(3) दं.प्र.सं. पर विचारण न्यायालय के आदेश के उपरांत विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसमें निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध यह आक्षेप लगाए गए थे कि दिनांक 25.06.2024 को समय करीब सुबह 10 बजे प्रार्थीनी अपने घर पर अकेली थी कि तभी प्रार्थीनी के पडौसी कृष्णपाल पुत्र लाल सिंह जबरदस्ती प्रार्थीनी के घर के बाहर नाली की खुदाई करने लगे। प्रार्थिनी ने इस बात का विरोध किया तो विपक्षीगण कृष्णपाल व अन्य ने उसके साथ गाली–गलौच करते हुए उसके घर के अन्दर घुसकर उसके साथ मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया जिसमें उसको काफी गुम चोटे आयी हैं। मौहल्ले वालों ने उक्त घटना की सूचना उसके बेटे संदीप व चाचा कृष्णपाल पुत्र जय सिंह को दी जैसे ही ये लोग खेत से घर पहुंचे तो विपक्षीगण ने उनके साथ भी मारपीट की, मौहल्ले के रहने वाले सचिन पुत्र सहन्सरपाल, सहदेव पुत्र पदम सिंह एवं अन्य लोगों ने विपक्षीगण से प्रार्थीनी के बेटे संदीप व चाचा कृष्णपाल की जान बचायी वरना विपक्षीगण जान से मार देते। छूट–छुटाव के बाद भी विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर गये है।

10. जिसके उपरान्त दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अंतिम आख्या इस आशय की विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी कि अब तक की तमामी विवेचना बयान वादिया, बयान मजरुबगण, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल आदि से थाना हाजा पर मुकदमा उपरोक्त के सापेक्ष में वादी श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना बागपत, जिला बागपत की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 563/2024 धारा 147, 148, 149, 452, 427, 504, 307 भा.दं.सं. पंजीकृत है, जिसमें मुकदमा उपरोक्त के वादिया व मजरुबगण नामित अभियुक्तगण है। मुकदमा उपरोक्त में बचाव तथा फैसले का दवाब बनाने के उद्देश्य से वादी द्वारा मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कराया गया है। अतः मुकदमा उपरोक्त में नामित विपक्षीगण 1. कृष्णपाल पुत्र लाल सिंह 2. लोकिन्दा पत्त्री कृष्णपाल 3. तेजपाल पुत्र लाल सिंह निवासीगण ग्राम सरूरपुर कला थाना व जनपद बागपत तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में किसी अपराध संबंधित साक्ष्य का होना नहीं पाया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट समाप्त की गयी। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता /प्रार्थिनी द्वारा प्रोटेस्ट पीटिशन दायर की तथा उक्त प्रोटेस्ट पीटिशन को भी विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 50/2025 दिनांकित 19.03.2025 स्वीकार की गयी। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

11. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि घटना के समय छूट छूटाव करने वाले गवाह सचिन पुत्र सहन्सरपाल व सहदेव पुत्र पदम सिंह का भी बयान विवेचक द्वारा दर्ज किया गया जिनके द्वारा भी घटना की पुष्टि करते हुए अपना–अपना बयान विवेचक को दिया गया है।

12. उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विवेचक द्वारा अपनी विवेचना में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उक्त दोनों व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा वे निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी प्रेमवती के परिवार के सदस्य है, जिस कारण से निगरानीकर्ता ने उनके नाम लिखवाये है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा तथाकथित घटना में छुट छूटाव कराया गया होगा।

13. जहाँ तक मजरूबों को आयी चोटों व उनके द्वारा विवेचक को दिए गए बयानों का प्रश्न है तो यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सक के बयान से स्पष्ट है कि उक्त चोटें कई कारणों से कारित हो सकती हैं तथा चिकित्सीय साक्ष्य एक समपुष्टिकारक साक्ष्य होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य के समर्थन के अभाव में सिर्फ चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अपराध कारित होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में दिया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता व उसके पुत्र संदीप व चाचा कृष्णपाल द्वारा तथाकथित घटना के संबंध में विवेचक को दिए गए अपने–अपने बयानों में विरोधाभास की स्थिति विद्यमान है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी व विपक्षीगण के मध्य नाली के संबंध में विवाद है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी तथा उसके चुटैल पुत्र संदीप व कृष्णपाल पुत्र जयसिंह के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा मु.अ.सं.–563/2024 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 452, 427, 504, 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी तथा अन्य मजरुब फरार चल रहे थे तथा इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि गिरफ्तारी से बचने तथा उक्त मुकदमें में फैसले का दबाव बनाये जाने के उद्देश्य से निगरानीकर्ता /प्रार्थिनी द्वारा मनघढंत कथनों के आधार पर क्रॉस केस बनाने के लिए यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वंय विवेचक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कि "मु.अ.सं. 563/2024 धारा 147, 148, 149, 452, 427, 504, 307 भा.दं.सं. पंजीकृत है, जिसमें मुकदमा उपरोक्त के वादिया व मजरुबगण नामित अभियुक्तगण है। मुकदमा उपरोक्त में बचाव तथा फैसले का दवाब बनाने के उद्देश्य से वादिनी द्वारा मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कराया गया है" अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में दिए गए निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजीर **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली** (2013)5 SCC 762 एवं **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द** (2012) 9 SCC 460 में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि सामान्यतः निगरानी का क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर ही प्रयोग में लाना चाहिए और तथ्यों के सम्बन्ध में इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में अवैधानिकता हो। निगरानी की शक्ति का प्रयोग न्याय की मंशा की पूर्ति के लिए तथा इस उददेश्य से किया जाना चाहिए कि न्यायालय की शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा हो। मात्र संदेह के आधार पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस मत की है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग किया गया है। आलोच्य आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार दाण्डिक निगरानी निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजें।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

दिनांकः 03.06.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 03.06.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।